

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त राज-राज्य शासक कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय का नाम से ही किया जाने न कि किसी अन्य व्यक्तिकर के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पुत्र में पर-अवसर हुआ हो तो एक-दूसरे एक-दूसरे अग्र-व्यक्ति अपने-दिले-सहित हो।



नाम : कुलसचिव  
 दफ्तर : 0021-0751 2442861  
 (ग्वालियर)  
 2402462 (विभाग)  
 फ़ोन : 0021-0751-2341760  
 E-mail :  
 jureg\_gw@rediffmail.com  
 Website :  
 http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :  
 कुलसचिव,  
 जीवाजी विश्वविद्यालय,  
 ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/5413


दिनांक : 09/11/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 को यह क्रमांक (02) के निर्णयानुसार के.एस. शिखा महाविद्यालय, मी. जिला- भिण्ड जो सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित, सम्मिलित बी.एड. पाठ्यक्रम के लिये अर्थात् सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।


### शर्त/प्रतिबंध :-

1. नवीन भवन में स्थापना की अनुमति एन.सी.टी.ई. से तत्काल प्राप्त की जाये।
2. अनौद्योगिक लेव शिक्षण लेव प्रत्येक हेतु 50,000/- के उपकरण क्रय किए जायें।
3. ई.टी. लेव नहीं है। पुरस्च स्थापित की जावे।
4. पुरस्चालय हेतु बी.एड. के कम से कम 1000 दाखल पुराके एक लाख की क्रय की जावे।
5. परिचियम 28(17) में प्राचार्य एवं स्टाफ की तत्काल नियुक्ति की जावे।
6. शासी निकाय गठित कर विधित बैंक कराई जायें।
7. परिचियम 27 एवं 28 का पूर्णतः पालन सुनिश्चित करे।

आदेशानुसार  
  
 कुलसचिव

### प्रति,

1. प्राचार्य, के.एस. शिखा महाविद्यालय, मी. जिला- भिण्ड
2. सचिव, राष्ट्रीय अग्र्याधिक शिक्षा परिषद्, मानस भवन, श्यामला डिस्ट्रिक्ट, भोपाल
3. आयुक्त, गव्यप्रवेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तरपुडा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय ऑन्टोरिन्स संयोजक, गव्यप्रवेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-कमल संभ्राण, मोती मन्दिर परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परिचालन/भोपलीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अतीक्षक, परीक्षा कम क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
 सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)